उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 60/XXVII(7)32/2007
देहरादूनः दिनांक 02 अप्रैल, 2018

अधिसूचना संख्या– 47 /XXVII(7)32/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2018 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की 500 प्रतियां तैयार कर अबिलम्ब वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली को राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

P.T.O

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 47/XXVII(7)32/2007
देहरादूनः दिनांक 02 अप्रैल, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–166 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट)(संशोधन) नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली, 2017 के नियम 3 के उप नियम–6 में संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट)नियमावली, 2017 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–3 के उप नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
3(6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है।	3(6) सभी शर्तें/अर्हताएं समान होने पर न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाय अन्यथा उन कारणों को अभिलिखित किया जाय जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। **परन्तु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के भीतर विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे रू0 5.00 करोड़ तक के निर्माण कार्य, अन्य शर्तों/अर्हताओं के पूर्ण होने की दशा में स्थानीय व्यक्तियों/स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते हैं।**

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता [illegible] विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण [illegible], उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन पत्रसंख्या – 1002 / यप अधि० प्राप्ति /2018 दिनांक–15।

प्रतिलिपि:- निम्न क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो० निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ खण्डीय/उपखण्डीय कार्यालयों को कार्यवाही हेतु प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

गार्ड पत्रावली हेतु।

15/9/18
[illegible] एवं विभागाध्यक्ष
कार्यालय [illegible] लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
15/9/18